

विधवा पेंशन योजना स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया

(क) – पात्रता की शर्तें :-

- 1 – आवेदक की उम्र 18से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो ।
- 2 – वार्षिक आय रू0–12000 से अधिक न हो ।
- 3 – बालिंग पुत्र या पौत्र न हो ।
- 4 – यदि बालिंग पुत्र या पौत्र हैं तो भरण पोशण करने में सक्षम न हो ।

(ख) – लाभार्थी चयन प्रक्रिया:-

ग्रामीण क्षेत्र :- ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उपर्युक्त पात्रता

धारकों की वरीयता सूची तैयार की जाती है । जिसमें ऐसे व्यक्तियों को वरीयता की सूची में ऊपर रखा जायेगा जिनके बालिंग पुत्र या पौत्र नहीं हैं या उम्र कम है । नवीन पेंशन की स्वीकृति नवीन लक्ष्य प्राप्त होने अथवा मृतक अपात्र के कारण ग्राम पंचायत में होने वाली रिक्ति के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा तैयार वरीयता सूची के व्यक्तियों के आवेदन पत्र भरा कर उस पर उम्र, आय, बालिंग पुत्र या पौत्र सम्बन्धी आख्या ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दी जाती है एवं वरीयता सूची का क्रमांक भी अंकित किया जाता है । तदनुसार ग्राम प्रधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला प्रोवेन्स अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है ।

नगरीय क्षेत्र :- नवीन पेंशन हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा किया जाता है । आवेदन पत्र पर उम्र के सम्बन्ध में आख्या चिकित्साधिकारी द्वारा दी जाती है । भोश अन्य पात्रता बिशयक आख्या लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा दी जाती है । तत्पश्चात् आवेदन पत्र जिला प्रोवेन्स अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है । जिला प्रोवेन्स अधिकारी

द्वारा नगरीय क्षेत्र में रिक्ति का परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत कराया जाता है ।

(ग) पेंशन वितरण प्रक्रिया :-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान दो छमाही किस्तों में लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक अनुसूची द्वारा अन्तरित की जाती है तथा अन्तरण सूची की एक प्रति सूचनार्थ खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है ।

(घ) पेंशन की दर :-

01-04-07 से विधवा पेंशन की दर में वृद्धिकर दी गयी है, जो रू0-150 से बढ़कर रू0-300 कर दिया गया है । प्रथम छमाही रू0-1800 माह सितम्बर तक एवं द्वितीय छमाही रू0-1800 दिसम्बर तक अंतरित की जाती है ।

(के0 एस0 मिश्र)
जिला प्रोवेन्सियल अधिकारी
सुल्तानपुर